



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर, म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 2019 विविध  
पुनर्स्थापना-0542/2019/शहडोल-श.श.

~~When before me the ..... day  
20..... by.....  
of ..... who  
is presently known to me (or) who has  
been known to .....  
whose signature ..... are there  
appeared.~~

राजस्व मंडल

राजस्व मंडल

श्री. ए.एस. जी.एस. द्वारा आज दिनांक 22-4-19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तक हेतु दिनांक 10-3-19 नियत।

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

(A.S.Gwal)  
Act'

1. राजा बम्हानी पुत्र श्री अर्जुनदास बम्हानी
2. हरीश कुमार बम्हानी पुत्र श्री अर्जुनदास बम्हानी, निवासीगण- बुढार, तहसील बुढार जिला शहडोल, (म0प्र0)
3. श्रीमती रोमा कुमारी पुत्री श्री अर्जुनदास बम्हानी, पत्नी श्री मोहन जी पंजवानी निवासी- भूरीबली, मुम्बई, (महाराष्ट्र) द्वारा मुख्यारआम राजा बम्हानी पुत्र श्री अर्जुनदास बम्हानी —आवेदकगण

बनाम

1. धीरज सिंह लखमना पुत्र श्री सत्यपाल सिंह लखमना
2. बलधीरजसिंह लखमना पुत्र श्री सत्यपालसिंह लखमना, दोनों निवासी- कोर्ट ब्यू, 126 हाईकोर्ट रोड- मुम्बई, (महाराष्ट्र)
3. मु0 रामवती बेवा स्व0 श्री नर्मदा प्रसाद
4. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री द्वारिका
5. ललन पुत्र श्री द्वारिका
6. मालिकराम पुत्र श्री द्वारिका
7. पुल्लू पुत्री श्री द्वारिका
8. सोनिया पुत्री श्री द्वारिका
9. रेमुन पुत्री श्री द्वारिका
10. सुधा पुत्री श्री द्वारिका

क्रमांक 3 लगायत 10 निवासीगण- ग्राम सेमरा तहसील बुढार जिला शहडोल —अनावेदकगण



आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 वास्ते प्रकरण क्रमांक 5063/II/2018 निगरानी व उनवान राजा बम्भानी आदि बनाम धीरज सिंह लखमना आदि में पारित आदेश दिनांक 09/04/2019 को अपास्त कर प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जाने बावत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदकगण का निगरानी प्रकरण क्रमांक 5063/II/2018 निगरानी व उनवान राजाबम्भानी आदि बनाम धीरज सिंह लखमना आदि दिनांक 09/04/2019 को अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने एवं अनावेदकगण क्रमांक 3 लगायत 10 की तामील व उपस्थिति हेतु नियत था।
2. यहकि, आवेदकगण के अभिभाषक श्री जे0एस0 गौड़ दिनांक 08/04/2019 को अपने परिवार सहित माता वैष्णवोदेवी के दर्शन हेतु कटरा जम्मू गये हुये थे, तथा अपने साथी अभिभाषक श्री पी0के0 तिवारी को प्रकरण में आवेदकगण अभिभाषक श्री जे0एस0 गौड़ की ओर से उपस्थित होकर एवं प्रकरण में आगामी तिथि लेने हेतु कह गये थे।
3. यहकि, आवेदकगण की उक्त दिनांक को व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। प्रकरण में दिनांक 09/04/2019 को वक्त पुकार आवेदकगण के साथी अभिभाषक श्री पी0के0 तिवारी के रिश्तेदार की अचानक अत्यधिक तबीयत खराब होने से उन्हें अपने रिश्तेदार को अपोलो हॉस्पिटल ग्वालियर में भर्ती कराने हेतु जाना पड़ा था, इसलिये वे न्यायालय के समक्ष उक्त दिनांक को वक्त पुकार उपस्थित नहीं हो सके तथा न्यायालय में उसी दिन विलम्ब से उपस्थित होने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि, प्रकरण आवेदकगण व उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।
4. यहकि, प्रकरण को कन्टेस्ट करना चाहते हैं, तथा आवेदकगण प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त नहीं कराना चाहते हैं। प्रकरण में महत्वपूर्ण

*(Handwritten signature)*

R.K. SHARMA

*(Handwritten signature)*


PM



## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पुर्नस्थापन-0542/2019/शहडोल/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/05/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जे.एस. गौड़ उपस्थित। उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया। विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार करते हुए मूल प्रकरण क्रमांक निगरानी-5063/2018/शहडोल/भू.रा. पुनः सुनवाई हेतु नियत किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। यह प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>(बी.एम. शर्मा)</b>  <b>सदस्य</b> </p>	